सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2005] सप. 5 एस.सी.आर.

जालाराम

बनाम

राजस्थान राज्य

24 नवंबर, 2005

अपीलकर्ता की ओर से–विद्वान अधिवक्तागण– यू.यू.ललित, राम निवास, नितिन संगरा, शरद सिंघानिया एवं मिस प्रतिभा जैन

प्रतिवादी की ओर से–विद्वान अधिवक्तागण– कुमार कार्तिकेय अरुणेश्वर गुप्ता की ओर से

यह निर्णय ए.बी.सिन्हा, जस्टिस के न्यायालय द्वारा पारित की गयी है।

यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.03.2004 के निर्णय एवं आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता(संक्षेप में भा.द.स.) की धारा 147,302 और धारा 323/149 के तहत उसके खिलाफ पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को भा.द.स. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि में परिवर्तित कर दिया गया था।

प्राथमिकी में अभियोजन पक्ष के मामले का खुलासा इस प्रकार है –

एक प्रताप (पीडब्लू–5) ने जालौर जिले के बगोडा पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. के समक्ष दिनांक 14.3.1998 को दोपहर लगभग 2 बजे एक लिखित रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें कहा गया था कि उक्त दिन सुबह लगभग 9 बजे जब वह अपने भाइयों हंजा (पीडब्लू–1), वासना (मृतक) और रायमल (पीडब्लू–4) के साथ अपनी धानी से ओरान की ओर मवेशियों को चराने के उद्देश्य से जा रहा था और जब वे लोग अभियुक्त सोनाराम के खेत से गुजर रहे थे तो अपीलकर्ता भागीरथ, किशन राम, नरिंगा, पूनमाराम और भिखराम के साथ मिलकर, जो खुद को खेत में छिपा रहे थे, उन पर लाठियों से हमला किया। जहाँ कि यह कहा गया है कि अपीलार्थी जलाराम ने मृतक के सिर पर लाठी चलाई थी, जबकि भागीरथ ने पीडब्लू–1 के सिर पर लाठी चलाई थी और किशन राम ने सूचक के पैर पर लाठी चलाई थी।

यद्यपि इसमें अपीलार्थी का नाम प्राथमिकी में दिया गया था, पर उनके खिलाफ और साथ ही भागीरथ, पूनमारम और भिखाराम के खिलाफ भी कोई आरोप–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। एक आरोप–पत्र किसन राम, नारिंगा, सोनाराम, चमंदा और देव राम के खिलाफ भा.द.स. की धारा 147,148,302,323 साथ धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध करने के मामला में दाखिल किया गया था। हालाँकि, अभियोजन पक्ष के पाँच गवाहों की परीक्षण के बाद और इस ओर से किए गए एक आवेदन पर, अपीलार्थी और अन्य को विचारण न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के संदर्भ में तलब किया गया था, जिसके बाद सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों में संशोधन किया गया था।

अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 11 साक्षियों का परीक्षण किया। विद्वत विचारण न्यायालय ने सोनाराम, घमंडा और देव राम (क्रमशः अभियुक्त सं 1, 4 और 5) को दोषमुक्त किया परन्तु अपीलार्थी को भा.द.स. की धारा 147,302 और धारा 323/149 और अन्य अभियुक्त किसना राम, नारिंगा, भागीरथ, पूनमाराम और भीखाराम को भा.द.स. की धारा 147,302/149 और धारा 325/149 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी पाया।

अभियुक्त द्वारा इसके विरुद्ध दायर दो अपीलों पर सुनवाई राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ के द्वारा की गई और, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, अक्षेपित निर्णय के कारण अकेले अपीलार्थी को भा.द.स. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने किसन राम और नारिंगा को प्रताप (पीडब्लू–5) और हंजा (पीडब्लू–1) को चोट पहुँचाने के लिए भा.द.स. की धारा 323 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध करने का दोषी ठहराया और उन्हें पहले से गुजारी चुकी अवधि की सजा सुनाई।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अभिनिर्णित किया किः

" इस प्रकार स्टार गवाहों पी. डब्ल्यू. 5 प्रताप और पी. डब्ल्यू. 1 हंजा के बयानों से,

निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं

(i) कि कथित घटना के समय, छह अभियुक्त अपीलार्थी, जिनका नाम जलाराम,

भागीरथ,किसान राम, भिकारम, पूनमारम और नरिंगा उपस्थित थे।

(ii) कि कथित घटना उस समय हुई जब पी. डब्ल्यू. 1 हंजा, पी. डब्ल्यू. 5 प्रताप

और मृतक अपने रेवार (मवेशियों) के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, जो आरोपी सोनाराम के खेत में था (जिसको विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा बरी कर दिया गया)।

(iii) कि अभियुक्त अपीलार्थी जलाराम ने मृतक के सिर पर लाठी चलाई।

(iv) कि अभियुक्त अपीलार्थी जलाराम को छोड़कर कोई अन्य किसी अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक को कोई चोट नही पहुँचाई।

(v) कि अभियुक्त अपीलार्थी किसन राम ने पी. डब्ल्यू. 5 प्रताप को लाठी से मारा।

(vi) कि अभियुक्त अपीलार्थी नारिंगा ने पी. डब्ल्यू. 1 हंजा को लाठी से मारा।

(vii) कि पी. डब्ल्यू. 1 हंजा और पी. डब्ल्यू. 5 प्रताप अभियुक्त अपीलार्थी किसन राम और अभियुक्त सोनाराम (जिसे ट्रायल जज ने बरी कर दिया है)के द्वारा प्राप्त चोटों का स्पष्टीकरण नही दिया।

(viii) कि अभियुक्त सोनाराम (जिसे विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा बरी कर दिया गया है) के खेत से पुनासा कि गोचर भूमि तक पहुँचने का एक रास्ता है और यह तथ्य अन्य अभियोजन के गवाहों द्वारा भी कहा गया है।

उक्त निष्कर्ष पर पहुँचते हुए उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः (i) चूँकि लड़ाई बिना सोचे–समझे हुई थी, इसलिए इसे अचानक लड़ाई कहा जा सकता है और उसके कारण से कोई गैरकानूनी सभा का निर्माण नहीं हुआ; (ii) समूह प्रतिद्वंद्विता शत्रुता के मामले में, अक्सर ऐसा होता है कि हमले के समय भाग लेने के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों में शामिल होने की प्रवृत्ति विकसित होती है, और इसी सिद्धान्त को लागू करते हुए निचली अदालत का यह निष्कर्ष कि अभियुक्त व्यक्तियों ने एक सामान्य उद्धेश्य बनाया, सही नहीं था; (iii) क्योंकि किसी भी आरोपी ने अपीलकर्ता जलाराम को मृतक को चोट पहुँचाने के लिए उकसाया नहीं था। और, इस प्रकार, मृतक की हत्या करने के लिए एक सामान्य उद्धेश्य के साथ कोई गैरकानूनी सभा नहीं बनाई गई थी; (iv) केवल अपीलकर्ता जलाराम मृतक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि घटना स्थल पर उसकी

उपस्थिति पर किसी भी तरह से संदेह नहीं किया जा सकता है; (v) अपीलकर्ता अपनी अन्यत्र रहने की याचिका को साबित करने में विफल रहा है; (vi) वह यह साबित करने में भी विफल रहा है कि वह मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, निजी प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता था; (vii) जैसा कि सोनाराम के खेत में मार्ग के अधिकार का दावा किया गया था, अपीलार्थी के शरीर या फसल को खतरे की कोई उचित आशंका नहीं थी; और (viii) यद्यपि अभियुक्त किसना राम और सोनाराम को एक-एक चोट लगी थी, लेकिन उन्हें लगी चोट साधारण प्रकृति की थी, जिससे यह उचित रूप से अनुमान लगाया जाएगा कि अभियुक्त के शरीर को खतरे की आशंका का कोई कारण नहीं था जिससे वे अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकें। (ix) किसना राम और सोनाराम के व्यक्ति पर मामूली प्रकृति की चोट को समझाने की आवश्यकता नहीं थी।

अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उदय यू. ललित ने इस अपील के समर्थन में एक छोटा सवाल उठाया है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे को दस साधारण चोटें दी गई थीं; केवल इसलिए कि अपीलार्थी द्वारा मृतक को पहुँचाई गई चोट जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, इससे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि अपीलार्थी का इसके लिए कोई हेतु था। यह इंगित किया गया था कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें मृतक या अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों पर कई वार किए गए थे ताकि इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके कि अपीलार्थी के पास अपेक्षित अपराधिक मनः स्थिति थी।

श्री कुमार कार्तिकेय, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने, हालाँकि, हमारा ध्यान चोट की स्थिति और जिस बल के साथ अपीलकर्ता द्वारा चोट दिया गया, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्ध और सजा को फैसले के समर्थन करती है।

इसलिए, विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि – क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने भा.द.स. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध किया है। हंजा (पीडब्लू-1) को चार चोटें आई थीं और सूचक प्रताप (पीडब्लू-5) को पांच साधारण चोटें आई थीं। यह भी निर्विवादित है कि आरोपी सोनाराम और किसन राम को भी एक-एक चोट लगी थी। पोस्टमॉर्टम के बाद मृतक के शरीर पर पाए गए घाव इस प्रकार हैं-

" (i) पारिएटो टेम्पोरल क्षेत्र के दाहिने ओर की हड्डी में फ्रैक्चर के साथ हड्डी में 7

से. मी. x 3 से. मी. का गहरा घाव

(ii) बाईं जांघ पर अग्रवर्ती दिशा में घर्षण 4 "x 4"।

यह विवाद में नहीं है कि यह घटना सोनाराम के खेत में हुई थी जिसे निचली अदालत ने बरी कर दिया है। यह भी विवाद में नहीं है कि जालाराम की कृषि भूमि पास में ही थी। इसके अलावा यह विवाद में नहीं है कि खसरा संख्या 865 , 866 और 1006 और पुनासा गाँव की सीमाओं से जुड़ी भूमि के बीच मार्ग का कोई अधिकार, अधिकार अभिलेख में दर्ज नहीं था।

बचाव पक्ष ने इस वाद में सात साक्षियों, डी. डब्ल्यू.–6 सहित, जो मामले में अनुसंधानकर्ता थे, का परीक्षण किया, उन्होंने कहा कि उनके द्वारा की गई जांच में उनकी यह राय थी कि आरोपी जलाराम, भिखाराम और पूनमारम के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। डी. डब्ल्यू.–7 उददा राम, जो एक स्वतंत्र गवाह है, ने कहा कि सोनाराम बिश्नोई के मैदान में 'बिश्नोई' और 'रेबारिस' के बीच खुली लड़ाई हुई थी। यह भी विवादित नहीं है कि घटना की तारीख को मृतक और अन्य लोग लगभग 60 मवेशियों के साथ चराने के लिए सोनाराम और भागीरथ के खेत की ओर बढ़ रहे थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हंजा (पीडब्लू–1), रायमल (पीडब्लू–4) और प्रताप (पीडब्लू–5) ने हालाँकि यह बयान दिया कि आरोपी व्यक्तियों ने मृतक की अंधाधुंध पिटाई की, लेकिन चिकित्सा साक्ष्यों को देखते हुए, यह सही नहीं पाया गया है।

सोनाराम की कृषि भूमि पर मार्ग का अधिकार स्थापित नहीं किया गया। यदि सुखाधिकार के अधिकार व अन्य माध्यम से मार्ग का कोई स्थापित अधिकार नहीं था और यदि अभियुक्त के मन में कोई आशंका थी कि उनकी भूमि में अतिचार का खतरा था, तो निर्विवाद रूप से वे निजी प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते थे। किसी भी स्थिति में, अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि अपीलार्थी द्वारा यहाँ केवल एक ही प्रहार मृतक के माथे पर किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि घटना की उत्पत्ति का भी अभियोजन पक्ष के द्वारा खुलासा नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला नहीं है कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्ति पहले से ही मृतक या सूचक के खिलाफ कोई दुर्भावना पाले थे या उनका उपरोक्त अपराध करने का कोई हेतु था। अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों का घटना स्थल के पास छिपकर रहने और अपराध करने के हेतु की पुष्टि नहीं हुई है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के मामले के उस हिस्से को स्वीकार करना मुश्किल है।

सोनाराम और किसन राम को भी एक–एक चोट लगी थी। यह सच है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना है कि चोटों की प्रकृति साधारण थी लेकिन इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष की ओर से यह साबित करना अनिवार्य था कि उन्हें यह चोट कैसे लगा। यह भी सच है कि सभी परिस्थितियों में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा लगे चोटों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा किया जाता है तो एक अलग स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अभियोजन पक्ष ने इस न्यायालय के समक्ष यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं प्रस्तुत की है, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी और अन्य आरोपी व्यक्ति ही हमलावर थे। यदि वे हमलावर नहीं थे, तो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की याचिका उनके लिए उपलब्ध थी। इस प्रकार, सोनाराम और किशन राम के शरीर पर लगी चोटों का विवरण न दिया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर चोटों का स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना निजी प्रतिरक्षा के अपने अधिकार के प्रयोग के संबंध में अपीलार्थी द्वारा रखे गए बचाव की विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है।

त्रिलोकी नाथ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2005) 9 एस.सी.ए.एल.ई 76, यह अभिनिर्णित किया गया है किः

> " अपीलार्थियों द्वारा भरोसा किए गए किसी भी निर्णय में साफ तौर पर कोई कानून निर्धारित नहीं किया जा सकता कि सभी परिस्थितियों में अभियुक्त के शरीर पर चोटों की व्याख्या की जानी चाहिए। प्रत्येक मामला उसमें होने वाली तथ्य एवं स्थिति पर निर्भर करता है।"

बिशना @भीष्वदेव महतो और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, जेटी (2005) 9 एससी 290: (2005) (9) एस.सी.ए.एल.ई 204], में इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने हाल ही में उक्त अधिकार की बारीकियों पर ध्यान दिया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

> " हालाँकि, इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में मामलों में यह कानून निर्धारित किया है कि ऐसे व्यक्ति जिसे मृत्यु या शारीरिक चोट की आशंका हो, विशिष्ट परिस्थितियों और पल में किसी हथियारों से लैस हमलावर को निःशस्त्र करने के लिए किस मात्रा में चोट पहुँचाना जरूरी है, को किसी स्वर्णिम पैमाने में नहीं तौला जा सकता। उत्तेजना और परेशान होने के क्षणों में पक्षों से मानसिक संतुलन बनाये रखने की अपेक्षा करना अक्सर मुश्किल होता है कि पक्ष इसे बनाए रखेंगे और जवाबी कार्रवाई में केवल इतना ही बल प्रयोग करें जो उसपर पड़ने वाले खतरे के अनुरूप हो

जब हमलावर आसन्न बल का प्रयोग कर रहा हो सभी परिस्थितियों को व्यवहारिक दृष्टि से देखे जाने की आवश्यकता है और किसी भी अति–तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए।"

सरल शब्दों में कहें तो, यदि बचाव किया जाता है, तो अभियुक्त को दोषमुक्त होने का अधिकार है अन्यथा उसे हत्या का दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन इस मामले में अत्यधिक बल का उपयोग करने पर उसे भा.द.स. की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया जाएगा।

आगे कहा गया है किः

" निजी प्रतिरक्षा का उपयोग गैरकानूनी बल को रोकने व गैर कानूनी बल से बचने, गैर कानूनी कैद से बचने और गैर कानूनी कैद से भागने के लिए किया जा सकता है। जहाँ तक अतिक्रमियों से जमीन की सुरक्षा की बात है एक व्यक्ति आवश्यक और मध्यम दोनों प्रकार के बलों का उपयोग करने का हकदार है जिससे अतिचार को रोका या अतिक्रमी को बाहर निकाला जा सके। उक्त प्रयोजनों के लिए, यह जरूरी है कि बल का प्रयोग न्यूनतम जितना आवश्यक हो या जितना उचित रूप से आवश्यक हो किया जाना चाहिए। एक उचित बचाव का मतलब होगा एक आनुपातिक रक्षा। आम तौर पर, एक अतिक्रमणकारी को पहले जाने के लिए कहा जाएगा और यदि अतिक्रमणकारी फिर से लड़ता है, एक उचित बल का उपयोग किया जा सकता है।"

सेकर उर्फ राजा शेखरन बनाम राज्य, प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक द्वारा टी. एन., [2002] 8 एस. सी. सी. 354, यह देखा गयाः

" 10. यह पता लगाने के लिए कि क्या निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है या नहीं नहीं, अभियुक्त द्वारा प्राप्त चोटें उसकी सुरक्षा के खतरे की गंभीरता, अभियुक्त द्वारा की गई चोटें और परिस्थितियाँ की क्या अभियुक्त के पास सार्वजनिक अधिकारियों से संपर्क करने का समय था, सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।"

इसमें अपीलार्थी ने निजी प्रतिरक्षा की याचिका भी उठाई है। वह हालाँकि, यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि सोनाराम और किशन राम के शरीर पर धमकी ऐसी थी या यहाँ तक कि बेदखल करने की धमकी भी ऐसी थी कि मृतक को ऐसे स्थान पर और इतने बल से मारना कि वह मौके पर ही अपनी अंतिम सांस ले। इसलिए, हमारी राय में, उन्होंने निजी प्रतिरक्षा के अपने अधिकार को पार किया था।

इसलिए हमारा प्रस्तावित विचार है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भाग 1 के तहत अपराध करने का दोषी है और न कि भारतीय दण्ड़ संहिता का धारा 302 के तहत।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि उपरोक्त प्रावधान के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा का अधिरोपण न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। अपीलार्थी पर 500/– रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसा न करने पर वह तीन महीने के साधारण कारावास से गुजरेगा। अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है और पहले उल्लेखित सीमा तक दी जाती है।

अपील की आंशिक रूप से स्वीकृत की गई।

Translated and vetted by

Rakesh Raushan

Civil Judge (Senior Division)–VIII

Cum Judicial Magistrate

Civil Court, Dhanbad

J.O. Code– JH0645